

तारीख
हुक्म

राजस्थान लोक अदालत अभिनव
भा. 4 भाषके द्वार 2015

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

04-6-19 आज पत्रावली राजस्थान लोक अदालत अतिरिक्त
 न्याय अधीन इव 2015 केप राहिये में
 उल्लूख दुर्ग / वाणी / शर्मा ने भए अपन 05
 212 RTA के विरुद्ध अडकोर जदुल किश कि
 कि श. ख नं. 97, 98 वाहे अप सुजाल सुजाल
 काग पडकाउन ती लुमुस लसेपरी के अडि
 है। सुजाकि सनवट ख. नं. 98 लपान केकेके
 में अडि है कि लसे गैर सापलान हासकेप कजे
 है। अतः गैर सापलान ती ताकेकल वाड अल्यार्ड
 निषेधावा है पलके फरमाचो अवे।

पत्रावली का अवलोकन किश, किशो
 सविम देता है कि शर्मा ने दिनांक 31/10/12
 ती अडकोर के विरुद्ध सुजाल सुजाल के अल्यार्ड
 अल्यार्ड निषेधावा अप कर. न्यपालप के
 आदेशो के बावजूद भी गैर सापलान ती लकी
 है। गौरी लललाना जदुलसगरी किशो है।
 नरल जपबंदी खं 2562-70 के अवलोकन है
 फर लाकेर है कि कि अप पडकाउन ती
 से सुस लसेपरी ती आली है कि लता अमी
 वर विधि क बटगा नही हुआ है ऐसी बिधि
 पे शर्मा, किशो विरुद्ध लनं. अर अप लध-
 लानेपन के विरुद्ध लपान अप नही क
 लकर है। अतः शर्मा का अरना पन लीता
 भोज्य नही है। अतः आदेश है कि दि. 31-10-12
 ती गौरी ल. 1. केके किशो गला डी पना
 केसल सुपाट ठेका पूरा वाडके लपु ललल

(सुजाकि सनवट लसेपरी)
 सदस्य

(देवका शर्मा)
 चोदालीन अडकोर
 लोक अदालत
 सहायक कलक्टर एवं
 कार्यवाही अधिकारी